

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 49] नई दिल्ली, दिसम्बर 13— दिसम्बर 19, 2015, शनिवार/अग्रहायण 22—अग्रहायण 28, 1937
No. 49] NEW DELHI, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2015, SATURDAY/AGRAHAYANA 22—AGRAHAYANA 28, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 234.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल के ड्राफ्टमैन काडर के समूह 'ख' अराजपत्रित के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल, ड्राफ्टमैन काडर समूह 'ख' अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **आरंभिक गठन .-** ऐसा पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर नियुक्त हुआ है, तत्स्थानीपद, ग्रेड, और सेवा में उस काडर के इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया समझा जाएगा तथा उसकी सेवा, सेवा में प्रोन्नति, पुष्टिकरण और पेंशन के लिए परिवीक्षा, अर्हता सेवा के लिए गणना में ली जाएगी।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संध लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. **सेवा का दायित्व.**— इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के लिये दायी होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रारूपकार ग्रेड-II	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	संयुक्त पद्धति द्वारा (प्रतिनियुक्ति सह प्रोन्नति)	संयुक्त पद्धति (प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र के पुलिस संगठन के ऐसे अधिकारी; (क) (i) जिसने मूलकाडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; अथवा (ii) जिसने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + 2400 रु. के ग्रेड वेतन में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखता हो :- (i) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, से ड्राफ्टमैनशिप (सिविल) में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र के साथ किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण और ड्राफ्टमैनशिप के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो। (ii) ड्राफ्टमैनशिप के क्षेत्र में दो वर्ष के अनुभव के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरी में 4 वर्षीय बैचलर डिग्री।	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
			टिप्पण- 1: ऐसा विभागीय अभ्यर्थी जिसने वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + 2400 ग्रेड वेतन के साथ उस श्रेणी में 10		

		वर्ष नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से ड्राफ्टमैनशिप (सिविल) में दो वर्ष का डिप्लोमा/प्रमाण पत्र + मैट्रिकुलेशन किया हो, बाहरी व्यक्तियों के साथ भी विचार में लिया जाएगा तथा पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी के चयन की दशा में प्रोन्नति द्वारा भरे जाते समय उसी प्रकार लिया जाएगा। टिप्पण- 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण- 4: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ		
--	--	--	--	--

			केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।		
--	--	--	---	--	--

[फा.सं. 3/3/एसएसबी./सीएससी/एरिया/समूह 'ख' और 'ग'/2010/एसएफएस]
दिनेश माहुर, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th December, 2015

G.S.R. 234.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'B', Non-gazetted post in draughtsman cadre of the Sashastra Seema Bal under the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Non-Combatised, Draughtsman Cadre, Group 'B' Non-Gazetted post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Initial constitution.**—The incumbent who has been appointed on regular basis before commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules to the correspondent post, grade and the cadre in the service and his service shall be counted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

3. **Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,-

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. **Liability of service.**- Any person appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts.	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Draughtsman Grade-II	1* 2015 *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental promotional committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for promotees	By Composite Method (deputation plus Promotion)	Composite Method [Deputation/Promotion] Officers of the Central Government or the State Government or Union Territories Police Organisations ; (a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre/Department; or (ii) with ten years regular service in Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 in the parent cadre/Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :- (i) 12 th Pass from a recognized Board/University with two years Diploma/Certificate in Draughtsmanship	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

			(Civil) from an Industrial Training Institute from a recognized Institution and having three years experience in the field of draughtsmanship ; or (ii) four years Bachelor degree in civil engineering from a recognized university/institute with two years experience in the field of draughtsmanship. Note-1 : The Departmental candidate in Pay Band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay Rs. 2400 with ten years regular service in the grade and possessing two years diploma/certificate in draughts-manship (civil) plus matriculation from a recognized Institution Board shall also be considered along with outsiders and in case the Departmental candidate is selected for appointment to the post, the same shall be treated as having been filled by promotion. Note-2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-3: The maximum age limit for appointment by deputation including short term contract shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application. Note-4: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post or posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.		
--	--	--	---	--	--

[F. No. 3/3/SSB/CSC/Area/Gp. 'B' & 'C'/2010/SFS]

DINESH MAHUR, Director (Pers)

रेल मंत्रालय**(रेलवे बोर्ड)**

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2015

सा. का. नि. 235.—रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं. 54) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री दीपक कुमार चकमा, उपाध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण, कोलकाता पीठ को रेल दावा अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में उस तारीख तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है जब तक कि अपने कार्यालय में ऐसी रिक्ति को भरने के लिए रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती।

[सं. 2015/ई(ओ)II/1/15]

जी. आर. अग्रवाल, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 14th December, 2015

G.S.R. 235.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (Act No.54 of 1987), the Central Government hereby authorize Shri Dipak Kumar Chakma, Vice-Chairman, Railway Claims Tribunal at Kolkata Bench to act as the Chairman of the Railway Claims Tribunal until the date on which a new Chairman, appointed in accordance with the provisions of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 to fill such vacancy, enters upon his office.

[No.2015/E(O)II/1/15]

G. R. AGARWAL, Secy.

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 236.—केन्द्रीय सरकार, कारपोरेट अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, वरिष्ठ सहायक निदेशक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2006 और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, सहायक निदेशक (पूँजी बाजार) (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में ज्येष्ठ सहायक निदेशक (पूँजी बाजार) और सहायक निदेशक (पूँजी बाजार) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (पूँजी बाजार) और सहायक निदेशक (पूँजी बाजार) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निर्हरताएं.- वह व्यक्ति, -

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. ज्येष्ठ सहायक निदेशक (पूँजी बाज़ार)	03* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समुह-‘ख’ राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100/-रूपए + 5400/- रूपए ग्रेड वेतन	चयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
(i) 33.33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	प्रोन्नति: वेतन बैंड 2, 9300-34800/-रूपए + ग्रेड वेतन 4800/-रूपए में ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सहायक निदेशक (पूँजी बाजार)
(ii) 66.67% प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा है)/ आमेलन द्वारा	टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवाके आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है):

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी:

(क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या

(i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए और ग्रेड वेतन 4800/-रूपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए और ग्रेड वेतन 4600/-रूपए के या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:

(i) चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंधन लेखपाल या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक या कारबार प्रबंधन (वित्त) में मास्टर या प्रबंधन (वित्त) या कंपनी सेक्रेटरी में परास्नातक डिप्लोमा के साथ पूंजी बाजार के क्षेत्र में दो वर्ष के कार्य का अनुभव;

(ii) अभियोजन कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य के संग्रहण के साधनों और कार्यपद्धतियों या कथन के अभिलेखन या सर्वोत्तम साक्ष्य के संग्रहण, समाकलन और प्रस्तुति से सुपरिचित होना चाहिए पूंजी बाजार और प्रतिभूति विधि प्रक्रिया, वाणिज्यिक और कारबारी विधियों की विशेषज्ञ जानकारी होनी चाहिए और विनियम विषयक पर्यावरण की समझ और अच्छी विश्लेषण सूचना और अंतः वैयक्तिक कौशल भी रखता हो और अन्वेषण क्षेत्रों, विपणन छल साधन, कूट मूल्यांकन, स्टॉक एक्सचेंज में कपट इत्यादि में ज्ञान रखता हो।

आमेलन:

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी आमोलन के लिए पात्र होंगे जो :

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य की काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
12	13
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक - अध्यक्ष गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय 2. अपर निदेशक - सदस्य गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय 3. उप सचिव - सदस्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक निदेशक (पूँजी बाज़ार)	02* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए + 4800/- रूपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
तीस वर्ष से अन्तर्गत टिप्पण 1: केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है; टिप्पण 2: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	आवश्यक: 1) चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंधन लेखपाल या चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक या कारबार प्रबंधन (वित्त) में मास्टर या प्रबंधन (वित्त) या कंपनी सेक्रेटरी में परास्नातक डिप्लोमा। बांछनीय: पूँजी बाजार के क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं। संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक

	सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(8)	(9)
लागू नहीं होता	दो सप्ताह की अवधि के अनिवार्य आगमन प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण करने के अधीन दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या भारतीय रिजर्व बैंक या स्वायत्त और कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए+ग्रेड वेतन 4600/-रूपए या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए+ग्रेड वेतन 4200/-रूपए या इसके समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास सीधी भर्ती के लिए स्तंभ (7) के अधीन यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेत आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य की काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक - अध्यक्ष गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय 2. अपर निदेशक - सदस्य गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय 3. उप सचिव - सदस्य कारपोरेट कार्य मंत्रालय	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.35011/28/2009-प्रशा. III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 8th December, 2015

G.S.R. 236.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Company Affairs, Senior Assistant Director (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2006 and the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Company Affairs, Assistant Director (Capital Market) (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Assistant Director (Capital Market) and Assistant Director (Capital Market) in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely: -

- Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, **Senior Assistant Director (Capital Market)** and **Assistant Director (Capital Market)**, Group 'B' Post Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

- Application.** - These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

- Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

- Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** - The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

- Disqualifications.** - No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.Senior Assistant Director [Capital Market].	03* (2015) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group- 'B' Gazetted Non-Ministerial.	Pay band-3, Rs.15600-39100/- plus grade pay of Rs.5400/-.	Selection.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
(i) 33.33% by promotion failing which by deputation (including short-term contract); (ii) 66.67% by deputation (including short-term contract)/absorption.	Promotion: Departmental Assistant Director (Capital Market) in pay band-2, Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/- with two years of regular service in the grade. Note 1 – Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2- For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission. Deputation (including short-term contract) : Officers from the Central Government or State Governments or Union Territories or public sector undertakings or statutory or autonomous bodies; (A) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

	(I) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs.4800/- or equivalent in the parent cadre or department; or (II) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs.4600/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: (I) Chartered Accountant or Cost and Management Accountant or Chartered Financial Analyst or Master of Business Administration (Finance) or Post Graduate Diploma in Management (Finance) or Company Secretary with two years experience in the field of capital markets; (II) should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings/expert knowledge of capital market and security law procedures, commercial and business laws and understanding of regulatory environment and also possessing good analytical, communication and interpersonal skills and exposure in investigating fields, market manipulations, price rigging, frauds on stock exchanges, etc., Absorption : Officers from Central Government or State Government or Union Territory shall be eligible for absorption. Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Note 3: Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Director, Serious Fraud Investigation –Chairman; Office	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

(2) Additional Director , Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.Assistant Director (Capital Market).	02* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-‘B’ Gazetted Non-Ministerial.	Pay band -2, Rs.9300-34800/- plus grade pay of Rs.4800/-.	Not Applicable.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years. Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshwadeep).	Essential : (I) Chartered Accountant or Cost and Management Accountant or Chartered Financial Analyst or Master of Business Administration (Finance) or Post Graduate Diploma in Management (Finance) or Company Secretary. Desirable : Two years experience in the field of capital markets. Note 1- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2 – The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	<i>Not Applicable.</i>	Two years subject to successful completion of mandatory induction training of two weeks duration.

(10)	(11)
By direct recruitment failing which by deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers from the Central Government or State Governments or Union Territories or public sector undertakings or Reserve Bank of India or autonomous and statutory bodies; (A) (I) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

	(II) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band -2, Rs.9300- 34800/- plus grade pay of Rs.4600/- or equivalent in the parent cadre or department; or (III) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay band -2, Rs.9300- 34800/- plus grade pay of Rs.4200/- or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits under Column (7). Note 1 : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. Note 2: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.
--	--

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No. A.35011/28/2009-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 237.— केन्द्रीय सरकार, कारपोरेट अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कंपनी कार्य विभाग, समूह 'ख' पद निजी सहायक भर्ती नियम, 2004 और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कंपनी कार्य विभाग समूह 'ख' पद निजी सचिव भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-I, निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव के पदों पर भर्ती की रीति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, आशुलिपिक ग्रेड-I, निजी सचिव और प्रधान निजी सचिव भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.-ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (6) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निर्हरताएं.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 आशुलिपिक ग्रेड-I	16* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(i) वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए और 4200/-रूपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
30 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य; और	लागू नहीं होता	दो वर्ष

आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को निर्णायक तारीख माना जाएगा न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू- कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिति जिला और चम्बा जिले का पांगी प्रभाग एवं अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	(ii) आशुलिपि कौशल परीक्षा मानक: समय 10 मिनट 100 शब्द प्रति मिनट की गति से प्रतिलेखन: अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 55 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर।		
---	---	--	--

भर्ती की पद्धति क्या हैं, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है
12	13
समूह 'ख' विभागीय सेवा पुष्टि समिति (सेवा पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे - (1) निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय - अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय - सदस्य (3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निजी सचिव	09* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	(ii) वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रुपए+ 4600/-रुपए ग्रेड वेतन	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
88.89% प्रोन्नति द्वारा और प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा, 11.11% अल्पकालिक संविदा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रुपए और ग्रेड वेतन 4200/-रुपए में विभागीय प्रोन्नति आशुलिपिक ग्रेड-1 में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो।

सहित प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा। टिप्पण: 88.89% (आठ पद) प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा, और 11.11% (एक पद) प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित)	टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के आशुलिपिक: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/-रूपए+ग्रेड वेतन 4200/-रूपए या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
---	--

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे – (1) निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(2) अपर निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – सदस्य				
(3) उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. प्रधान निजी सचिव	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-‘क’ राजपत्रित, अनुसचिवीय	(i) वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रुपए और 6600/- रुपए ग्रेड वेतन	चयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रुपए +ग्रेड वेतन 4600/- रुपए में सात वर्ष की नियमित सेवा वाला विभागीय निजी सचिव हो। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के आशुलिपिक: (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100/- रुपए +ग्रेड वेतन 5400/- रुपए या समतुल्य में आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में पांच वर्ष सेवा की है। (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800/- रुपए +ग्रेड वेतन 4800/- रुपए या समतुल्य में आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में छः वर्ष सेवा की है। टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के वह विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त अधिकारी प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होंगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षण वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक ग्रेड में विलय कर दिया गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों, पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
--	---

(12)	(13)
1. समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: (1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2) निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – सदस्य (3) निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य 2. समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: (1) निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – अध्यक्ष (2) अपर निदेशक, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय – सदस्य (3) निदेशक या उप सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए.-35011/28/2009-प्रशा. III]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 8th December, 2015

G.S.R. 237.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Department of Company Affairs Group 'B' Post Personal Assistant Recruitment Rules, 2004 and the Serious Fraud Investigation Office, Department of Company Affairs Group 'B' Post Private Secretary Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-I, Private Secretary and Principal Private Secretary in the Serious Fraud Investigation Office, Ministry of Corporate Affairs, namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rule may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, Stenographer Grade-I, Private Secretary and Principal Private Secretary Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.**—These rules shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these rules.
- Number of post, classification and pay band and grade pay or scale of pay.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**—No person, —

 - who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary, or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Stenographer Grade-I	16 * (2015) * Subject to variation dependent on the workload	General Central Service, Group- 'B' Non-Gazetted, Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay Rs. 4200/-	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	(I) 12 th Class pass or equivalent from a recognised Board or University; and (II) Stenography skill test norms: Dictation for 10 minutes @ 100 words per minute. Transcription; 40 minutes in English, 55 minutes in Hindi on computers.	Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Private Secretary	09* (2015) *Subject to variation dependent on the workload	General Central Service, Group-'B' Gazetted, Ministerial	Pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay Rs.4600/-	Selection

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
88.89% by promotion failing which by deputation including short-term contract, 11.11% by promotion/deputation including short-term contract. Note: 88.89% (Eight posts) by Promotion failing which by deputation (including short-term contract), and 11.11% (One Post) by deputation (including short-term contract).	Promotion: The Departmental Stenographer Grade-I in the pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4200/- with five years of regular service rendered in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (Including Short-term Contract): Stenographers from the Central Government or State Governments or Union territories or public sector undertakings or autonomous or Statutory organisations or recognised research institutions or universities: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, Rs.9300-34800/- plus grade pay Rs. 4200/- or equivalent in the parent Cadre or Department; Note 1: The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation [including short term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be for a period of three years.

	Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation [including short term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application. Note 3: For purposes of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.
--	---

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Principal Private Secretary	01 * (2015) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group- 'A' Gazetted, Ministerial	Pay band-3, Rs.15600-39100 /- plus grade pay Rs.6600/-	Selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation including short-term contract	Promotion: The Departmental Private Secretary in the pay band-2, Rs. 9300-34800/- plus grade pay Rs. 4600 with seven years of regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.

	Deputation (Including Short-term Contract) : Stenographers under the Central Government or State Government or Union territories or public sector undertakings or Statutory or autonomous organisations or recognised Institutions or Universities: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-3, Rs. 15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4800 or equivalent in the parent cadre or department. Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed five years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation [including short term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. Note 4: For the purpose of appointment on deputation (including short-term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.
--	---

(12)	(13)
1. Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of : (1) Chairman or Member, UPSC –Chairman; (2) Director, Serious Fraud Investigation Office –Member; (3) Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member. 2. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Director, Serious Fraud Investigation Office –Chairman; (2) Additional Director, Serious Fraud Investigation Office – Member; (3) Director or Deputy Secretary, Ministry of Corporate Affairs – Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.

[F. No. A-35011/28/2009-Adm.III]
MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 238.—केन्द्रीय सरकार, कारपोरेट अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 211 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, समूह 'ख' पद राजपत्रित वरिष्ठ सहायक निदेशक भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय में ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति, -

(ग) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(घ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ज्येष्ठ सहायक निदेशक (अन्वेषण)	05* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600-39100 रूपए + 5400 रूपए ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति क्या है, क्या भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त या कानूनी निकायों के ऐसे अधिकारी : (ख) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए और ग्रेड वेतन 4800 रूपए के या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रूपए और ग्रेड वेतन 4600 रूपए के या इसके समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो; या (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री; और (ii) विनियामक विधियों के प्रवर्तन में या आर्थिक अपराधों के अन्वेषण और उनकी आसूचना के संग्रहण का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय: (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत और प्रबंधन लेखपाल या चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री या कारबार प्रबंधन की मास्टर डिग्री या परास्नातक डिप्लोमा; (ii) अभियोजन कार्यवाही में उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य के संग्रहण के साधनों और कार्य पद्धतियों या कथन के अभिलेखन या सर्वोत्तम साक्ष्य के संग्रहण, समाकलन और प्रस्तुति से सुपरिचित होना। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसमें केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व

	पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) किसी अधिकारी को नियुक्ति के समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. ए-35011/28/2009-प्रशा.।।।]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 8th December, 2015

G.S.R. 238.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 211 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of the Serious Fraud Investigation Office, Department of Company Affairs Group “B” Post Gazetted Senior Assistant Director Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Assistant Director (Investigation) in the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, namely: -

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Corporate Affairs, Serious Fraud Investigation Office, **Senior Assistant Director (Investigation)**, Group ‘B’ Post Recruitment Rules, 2015.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.
- Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of said post, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications.** - No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age - limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Assistant Director [Investigation]	05* (2015) *Subject to variation dependent on the workload.	General Central Service, Group- 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay band-3 Rs.15600-39100 plus grade pay Rs.5400	Not Applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By Deputation including short-term contract.	Deputation (Including Short-Term Contract) : Officers from the Central Government or State Governments or union territories administrations or Central or State public sector undertakings or Statutory or Autonomous organisations; (A) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (I) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band-2, Rs.9300-34800 plus grade pay Rs.4800 or equivalent in the parent cadre or department; or (II) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.9300-34800 plus grade pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience: Essential : (I) Bachelor's Degree from a recognised University; and (II) Three years' experience in enforcement of regulatory laws or investigation of economic offences and collection of intelligence thereto. Desirable : (I) Chartered Accountant or Cost and Management Accountant or Company Secretary or Bachelor's Degree in Law or Master of Business Administration or Post Graduate diploma from a recognised University or Institutions. (II) Should be conversant with tools and techniques of collection of evidence or recording of statement or collection, collation and presentation of best evidence to be used in prosecution proceedings.

	Note 1: The period of deputation including period of deputation [including short term contract] in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall be for a period of three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation [including short term contract] shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of application. Note 3: For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended, based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post[s] for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up gradation.
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (Including Short-Term Contract).

[F. No. A-35011/28/2009-Adm.III]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

पोत परिवहन मंत्रालय**(स्थापना अनुभाग)**

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 239.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत परिवहन मंत्रालय, बहु-कार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2011 को जहाँ तक उनका संबंध पोत परिवहन मंत्रालय को आवंटित बहु-कार्य कर्मचारिवृंद के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है; पोत परिवहन मंत्रालय में बहु-कार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पोत परिवहन मंत्रालय बहु-कार्य कर्मचारिवृंद समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं - वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती के लिए वांछित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बहु कार्य कर्मचारिवृद्	52* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 1, (5200-20200 रु.) + ग्रेड वेतन 1800 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 और 27 वर्ष के बीच । टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । टिप्पण 2: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण या समतुल्य

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्त/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय 'पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अवर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय -अध्यक्ष 2. अनुभाग अधिकारी (स्थापना), पोत परिवहन मंत्रालय -सदस्य 3. अन्य विभाग/मंत्रालय से अनुभाग अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं.ए-12026/1/2014-स्था.]

धीरेंद्र कुमार पूर्व, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING
(ESTABLISHMENT SECTION)

New Delhi, the 15th December, 2015

G.S.R. 239.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Shipping Multi Tasking Staff, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2011, in so far as they relate to the posts of Multi Tasking Staff allocated to the Ministry of Shipping, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Multi-tasking Staff in the Ministry of Shipping, namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Shipping, Multi Tasking Staff, Group 'C' posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale .—The number of said posts, their classification and the grade pay and pay band attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

- (a) who has entered into, or contracted, a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted, a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classifica- tion	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non- selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi- Tasking Staff	52* (2015) *(Subject to variation dependent on work- load)	General Central Service, Group ‘C’, Non- Ministerial, Non- Gazetted	Pay Band- 1, (Rs. 5200- 20200) with Grade Pay of Rs. 1800/-	Not applicable	Between 18 and 27 years of age. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(7)		(8)		(9)	
Matriculation pass from a recognized Board or equivalent.		Not applicable		Two years	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/ deputation or absorption or grades from which promotion or deputation or absorption to be made		
(10)			(11)		
By direct recruitment			Not applicable		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of 1. Under Secretary, Ministry of Shipping -Chairman; 2. Section Officer (Establishment), Ministry of Shipping -Member; 3. Section Officer from other Department/Ministry -Member.	Not applicable

[F. No. A-12026/1/2014-Estt.]

D. K. PURBEY, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 240.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (समूह 'ग' प्रशासनिक पद) भर्ती नियम, 1987 जहां तक वे बहु-कृतिक कर्मचारी के पद से संबंधित हैं, का अभिक्रमण करते हुए, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार बहु कृतिक कर्मचारी (समूह 'ग' प्रशासनिक पद) भर्ती नियम, 2015 है।
2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
3. अनुप्रयोग: ये नियम इन नियमों की अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद को अनुप्रयोग होंगे।
4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में निर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।
5. भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हता, आदि: उक्त पद पर भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हता और उससे जुड़े अन्य विषय ऊपर लिखित अनुसूची के स्तंभ 7 से 14 में निर्दिष्ट किए गए के अनुसार होंगे।

निरर्हता:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति:- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	क्या, नियम 30 के अंतर्गत संवर्धित सेवा वर्षों का लाभ अनुमेय है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कृतिक कर्मचारी	22 (बाइस)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित गैर-अनुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200- 20200/-रु. ग्रेड वेतन 1800/-रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए वांछित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई है
(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 25 वर्ष (जो केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगा)। नोट: आयु सीमा के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तारीख भारत स्थित उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख (और न कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर का लद्दाख और स्पीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उपसंभाग, अंडमान निकोबार अथवा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख) होगी। यदि नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाती है तो आयु-सीमा के निर्धारण की महत्वपूर्ण तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी, जब तक रोजगार कार्यालयों को नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अथवा आईटीआई उत्तीर्ण* * पद की विशेष अपेक्षाओं, यदि कोई हैं, के अनुसार अपनाया जा सकता है।	लागू नहीं	2 वर्ष

भर्ती का तरीका : क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा होगा और विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जानी वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि भर्ती पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा की जाती है तो किस ग्रेड से पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना होगा
(11)	(12)	(13)	(14)
सीधी भर्ती से	लागू नहीं	विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) 1. निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार - अध्यक्ष	लागू नहीं।

		2. प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार – सदस्य	
		3. प्रशासनिक अधिकारी, आकाशवाणी - सदस्य	

[फा.सं. एम-15011/2/2014-डीओ(एफसी)]

एस. नागानाथन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 10th December, 2015

G.S.R. 240.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the National Film Archive (Group ‘C’ Administrative posts) Recruitment Rules, 1987 in so far as they relate to the post of Multi Tasking Staff except as respects things done or omitted to have been done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group ‘C’ Multi Tasking Staff posts in the National Film Archive of India, namely:-

1. Short title and commencement:- (1) These rules may be called the National Film Archive of India Multi Tasking Staff (Group ‘C’ Administrative Posts) Recruitment Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application:- These rules shall apply to the post specified in column 1 of the Schedule to these rules.
3. Number of posts, classification and scale of pay:- The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 7 to 14 of the Schedule aforesaid.
5. Disqualification:- No person, (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

6. Power to relax:- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. Savings:- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff	22 (twenty two)	General Central Service, Group ‘C’ Non-Gazetted Non-Ministerial	Pay Band 1 Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.1800	Not Applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and Education qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of Probation if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 to 25 years of age (Relaxable for Government servants up to 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshdweep) In case of appointment to be made through Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will in each case be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Matriculation or equivalent pass Or ITI pass* *May be adopted as per special requirements of the post, if any	Not applicable.	2 years

Method of recruitment whether by direct or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(11)	(12)	(13)	(14)
By direct recruitment	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)	Not applicable

		1. Director, National Film Archive of India -Chairman	
		2. Administrative Officer, National Film Archive of India -Member	
		3. Administrative Officer, All India Radio -Member	

[F.No.M-15011/2/2014-DO(FC)]

S. NAGANATHAN, Under Secy.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**(दूरसंचार विभाग)**

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 241.—केंद्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियमावली, 1951 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाए।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय तार नियमावली, 1951, में-

(i) नियम 525 के, उप-नियम (2) के खंड (v) में, मद (घ) के बाद निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

“(ड.) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपग्रह बैंडविड्थ सिस्टम के संवर्धन हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जाएगा।

(च) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना के अनुसार लक्षद्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के लिए उपग्रह बैंडविड्थ सिस्टम के संवर्धन हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जाएगा।

(छ) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह की व्यापक दूरसंचार विकास परियोजना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में स्थलीय ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) नेटवर्क संचार मीडिया का संवर्धन करने और रिंग कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जाएगा।

(ii) उक्त नियमों के नियम 526 में “खंड (v) की मद (ग) और मद (घ)” के शब्दों, कोष्ठकों और वर्णों को “खंड (v) की मद (ग), मद (घ), मद (ङ), मद (च) और मद (छ)” के शब्दों, कोष्ठकों और वर्णों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 30-174-8/2015-बीबी-यूएसएफ]

शशि रंजन कुमार, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

टिप्पणी : मूलनियम डाक एवं तार नियमावली खंड-I, विधायी अधिनियम, भाग-II, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् ये निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत संशोधित किए गए-

1. सा.का.नि. 190, दिनांक 18 फरवरी, 1984;
2. सा.का.नि. 386, दिनांक 22 मई, 1984;
3. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 22 मई, 1984;
4. सा.का.नि. 679, दिनांक 30 जून, 1984;
5. सा.का.नि. 428, दिनांक 27 अप्रैल, 1985;

6. सा.का.नि. 729, दिनांक 03 अगस्त, 1985;
7. सा.का.नि. 982, दिनांक 19 अक्तूबर, 1986;
8. सा.का.नि. 553(अ), दिनांक 27 मार्च, 1986;
9. सा.का.नि. 314, दिनांक 26 अप्रैल, 1986;
10. सा.का.नि. 566, दिनांक 26 जुलाई, 1986;
11. सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 23 जुलाई, 1986;
12. सा.का.नि. 1121(अ), दिनांक 01 अक्तूबर, 1986;
13. सा.का.नि. 1167(अ), दिनांक 28 अक्तूबर, 1986;
14. सा.का.नि. 1237(अ), दिनांक 28 नवम्बर, 1986;
15. सा.का.नि. 49, दिनांक 17 जनवरी, 1987;
16. सा.का.नि. 112(अ), दिनांक 25 फरवरी, 1987;
17. सा.का.नि. 377(अ), दिनांक 09 अप्रैल, 1987;
18. सा.का.नि. 674(अ), दिनांक 27 जुलाई, 1987;
19. सा.का.नि. 719(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1987;
20. सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 05 अक्तूबर, 1987;
21. सा.का.नि. 989(अ), दिनांक 17 दिसंबर, 1987;
22. सा.का.नि. 337(अ), दिनांक 11 मार्च, 1988;
23. सा.का.नि. 361(अ), दिनांक 21 मार्च, 1988;
24. सा.का.नि. 626(अ), दिनांक 17 मई, 1988;
25. सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 31 मई, 1988;
26. सा.का.नि. 693(अ), दिनांक 10 जून, 1988;
27. सा.का.नि. 734(अ), दिनांक 24 जून, 1988;
28. सा.का.नि. 606(अ), दिनांक 14 जुलाई, 1988;
29. सा.का.नि. 812(अ), दिनांक 26 जुलाई, 1988;
30. सा.का.नि. 888(अ), दिनांक 01 सितंबर, 1988;
31. सा.का.नि. 907(अ), दिनांक 07 सितंबर, 1988;
32. सा.का.नि. 916(अ अ), दिनांक 09 सितंबर, 1988;
33. सा.का.नि. 1054, दिनांक 02 नवम्बर, 1988;
34. सा.का.नि. 179, दिनांक 18 मार्च, 1989;
35. सा.का.नि. 358(अ), दिनांक 15 मार्च, 1989;
36. सा.का.नि. 622(अ), दिनांक 15 जून, 1989;
37. सा.का.नि. 865, दिनांक 29 सितंबर, 1989;
38. सा.का.नि. 413(अ), दिनांक 29 मार्च, 1990;
39. सा.का.नि. 574(अ), दिनांक 15 जून, 1990;
40. सा.का.नि. 933(अ), दिनांक 03 दिसंबर, 1990;
41. सा.का.नि. 985(अ), दिनांक 20 दिसंबर, 1990;
42. सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 18 जनवरी, 1991;
43. सा.का.नि. 237(अ), दिनांक 25 अप्रैल, 1991;
44. सा.का.नि. 251(अ), दिनांक 02 मई, 1991;

45. सा.का.नि. 543(अ), दिनांक 21 मई, 1992;
46. सा.का.नि. 560(अ), दिनांक 26 मई, 1992;
47. सा.का.नि. 587(अ), दिनांक 10 जून, 1992;
48. सा.का.नि. 730(अ), दिनांक 19 अगस्त, 1992;
49. सा.का.नि. 830(अ), दिनांक 28 अक्टूबर, 1992;
50. सा.का.नि. 62(अ), दिनांक 11 फरवरी, 1993;
51. सा.का.नि. 80, दिनांक 06 फरवरी, 1993;
52. सा.का.नि. 384(अ), दिनांक 27 अप्रैल, 1993;
53. सा.का.नि. 387(अ), दिनांक 28 अप्रैल, 1993;
54. सा.का.नि. 220(अ), दिनांक 26 मार्च, 2004;
55. सा.का.नि. 713(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 2006;
56. सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 01 मार्च, 2007;
57. सा.का.नि. 547(अ), दिनांक 18 जुलाई, 2008;
58. सा.का.नि. 49(अ), दिनांक 27 जनवरी, 2010;
59. सा.का.नि. 279(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010;
60. सा.का.नि. 256(अ), दिनांक 27 मार्च, 2012;
61. सा.का.नि. 412(अ), दिनांक 29 मई, 2012;
62. सा.का.नि. 368(अ), दिनांक 07 जून, 2013;
63. सा.का.नि. 506(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2013;
64. सा.का.नि. 18, दिनांक 28 जनवरी, 2014;
65. सा.का.नि. 912(अ), दिनांक 23 दिसंबर, 2014; और
66. सा.का.नि. 653(अ), दिनांक 25 अगस्त, 2015.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

New Delhi, the 10th December, 2015

G.S.R. 241.—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:-

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (2nd Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, -
(i) in rule 525, in sub-rule (2), in clause (v), after item (d), the following items shall be inserted, namely:-
 - "(e) For augmentation of satellite bandwidth systems for the Union territory of Andaman and Nicobar Islands as per the Comprehensive Telecom Development Plan for Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, Capital Expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).
 - (f) For augmentation of satellite bandwidth systems for the Union territory of Lakshadweep Islands as per the Comprehensive Telecom Development Plan for Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, Capital Expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).
 - (g) For augmentation of terrestrial Optical Fibre Cable (OFC) network/transmission media and providing Ring connectivity in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands as per the Comprehensive Telecom Development

Plan for Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Islands, Capital Expenditure incurred by Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF).";

(ii) In rule 526, for the words, brackets and letters "item (c) and item (d) of clause (v)", the words, brackets and letters "item (c), item (d), item (e), item (f) and item (g) of clause (v)" shall be substituted.

[F.No.30-174-8/2015-BB-USF]

SHASHI RANJAN KUMAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended vide notification numbers -

1. G.S.R. 190, dated the 18th February, 1984;
2. G.S.R. 386, dated the 22nd May, 1984;
3. G.S.R. 387(E), dated the 22nd May, 1984;
4. G.S.R. 679, dated the 30th June, 1984;
5. G.S.R. 428, dated the 27th April, 1985;
6. G.S.R. 729, dated the 3rd August, 1985;
7. G.S.R. 982, dated the 19th October, 1986;
8. G.S.R. 553(E), dated the 27th March, 1986;
9. G.S.R. 314, dated the 26th April, 1986;
10. G.S.R. 566, dated the 26th July, 1986;
11. G.S.R. 953(E), dated the 23rd July, 1986;
12. G.S.R. 1121(E), dated the 1st October, 1986;
13. G.S.R. 1167(E), dated the 28th October, 1986;
14. G.S.R. 1237(E), dated the 28th November, 1986;
15. G.S.R. 49, dated the 17th January, 1987;
16. G.S.R. 112(E), dated the 25th February, 1987;
17. G.S.R. 377(E), dated the 9th April, 1987;
18. G.S.R. 674(E), dated the 27th July, 1987;
19. G.S.R. 719(E), dated the 18th August, 1987;
20. G.S.R. 837(E), dated the 5th October, 1987;
21. G.S.R. 989(E), dated the 17th December, 1987;
22. G.S.R. 337(E), dated the 11th March, 1988;
23. G.S.R. 361(E), dated the 21st March, 1988;
24. G.S.R. 626(E), dated the 17th May, 1988;
25. G.S.R. 660(E), dated the 31st May, 1988;
26. G.S.R. 693(E), dated the 10th June, 1988;
27. G.S.R. 734(E), dated the 24th June, 1988;
28. G.S.R. 606, dated the 14th July, 1988;
29. G.S.R. 812(E), dated the 26th July, 1988;
30. G.S.R. 888(E), dated the 1st September, 1988;
31. G.S.R. 907(E), dated the 7th September, 1988;
32. G.S.R. 916(E), dated the 9th September, 1988;
33. G.S.R. 1054, dated the 2nd November, 1988;
34. G.S.R. 179, dated the 18th March, 1989;
35. G.S.R. 358(E), dated the 15th March, 1989;
36. G.S.R. 622(E), dated the 15th June, 1989;
37. G.S.R. 865, dated the 29th September, 1989;
38. G.S.R. 413(E), dated the 29th March, 1990;

39. G.S.R. 574(E), dated the 15th June, 1990;
40. G.S.R. 933(E), dated the 3rd December, 1990;
41. G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 1990;
42. G.S.R. 74(E), dated the 18th January, 1991;
43. G.S.R. 237(E), dated the 25th April, 1991;
44. G.S.R. 251(E), dated the 2nd May, 1991;
45. G.S.R. 543(E), dated the 21st May, 1992;
46. G.S.R. 560(E), dated the 26th May, 1992;
47. G.S.R. 587(E), dated the 10th June, 1992;
48. G.S.R. 730(E), dated the 19th August, 1992;
49. G.S.R. 830(E), dated the 28th October, 1992;
50. G.S.R. 62(E), dated the 11th February, 1993;
51. G.S.R. 80, dated the 6th February, 1993;
52. G.S.R. 384(E), dated the 27th April, 1993;
53. G.S.R. 387(E), dated the 28th April, 1993;
54. G.S.R. 220(E), dated the 26th March, 2004;
55. G.S.R. 713(E), dated the 17th November, 2006;
56. G.S.R. 193(E), dated the 01st March, 2007;
57. G.S.R. 547(E), dated the 18th July, 2008;
58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010;
59. G.S.R. 279(E), dated the 31st March, 2010;
60. G.S.R. 256(E), dated the 27th March, 2012;
61. G.S.R. 412(E), dated the 29th May, 2012;
62. G.S.R. 368(E) dated the 07th June, 2013;
63. G.S.R. 506(E) dated the 24th July, 2013;
64. G.S.R. 18 dated the 28th January, 2014;
65. G.S.R. 912(E) dated the 23rd December, 2014; and
66. G.S.R. 653(E) dated the 25th August, 2015.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 242.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दंत स्वास्थ्य विज्ञानी, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दंत स्वास्थ्य विज्ञानी	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है	केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध सरकारी अथवा कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रुपये या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10+2 या इंटरमीडिएट जिसमें जीव विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से दंत स्वास्थ्य विज्ञानी में दो वर्ष का डिप्लोमा ; (iii) भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् से दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के रूप में रजिस्ट्रीकृत; (iv) किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय कर दिया गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर (उन पदों पर) विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 11018/39/2005-आर आर (एम एच-II भाग-I)]

संजय पंत, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2015

G.S.R. 242.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Dental Hygienist, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi Recruitment Rules, 1990, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Dental Hygienist in the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi, Dental Hygienist (Group 'B' post), Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.** – The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dental Hygienist	01* (2015) *Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'B' Non Gazetted, Non Ministerial	Pay band 2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200	Not applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable

Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Not applicable.	By deputation including short-term contract.	Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or statutory or autonomous organisations:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) 10+2 or Intermediate with Biology as a subject from a recognised Board or institute; (ii) two years Diploma in Dental Hygienist from an recognized Institute; (iii) registered with Dental Council of India as Dental Hygienist; (iv) three years experience as Dental Hygienist in a recognised Hospital. Note 1: The period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other

		organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
--	--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-11018/39/2005-RR (MH II) Pt I]

SANJAY PANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2015

सा.का.नि. 243.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (ज्येष्ठ रिफ्रेकशनिस्ट) भर्ती नियम, 1996 का उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के ज्येष्ठ औपटोमेट्रिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ औपटोमेट्रिस्ट (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है |

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ औपटोमेट्रिस्ट	01* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अंतरण किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा।	प्रोन्नति : सफदरजंग अस्पताल में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800/- रु. के साथ, ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित औपटोमेट्रीस्ट तथा जिसने औपटोमेट्री में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण किया है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) : केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी : (ग) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाला; या (ii) वेतन बैंड -1, 5200-20200 में, ग्रेड वेतन 2800/- रुपये या मूल काडर या विभाग में समतुल्य के साथ पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में की गई छह वर्ष की सेवा सहित; और (घ) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव धारण करते हुए : (v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से औपटोमेट्री में स्नातक की डिग्री। (vi) न्यूनतम सौ बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में औपटोमेट्री में दो वर्ष का कार्य अनुभव। टिप्पण 1 : पोषण प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे

	केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
--	--

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, - अध्यक्ष नई दिल्ली 2. संबंधित विभागाध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल, - सदस्य नई दिल्ली 3. उप निदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल, - सदस्य नई दिल्ली 4. उप निदेशक, (चिकित्सा अस्पताल) - सदस्य स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली	किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) पर नियुक्त करते हुए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए.-11018/05/2006-आर आर (एम एच -II)]

संजय पंत, अवर सचिव

New Delhi, the 16th December, 2015

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi, (Senior Refractionist) Recruitment Rules, 1996, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Optometrist in Safdarjung Hospital, New Delhi under the Ministry of Health and Family Welfare namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi Senior Optometrist (Group 'B' Post) Recruitment, Rules 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. – The number of the posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. – The method of recruitment rules, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. – No person, -

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Optometrist	01 (2015)* * Subject to variation dependent upon the workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay band, 2 Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By promotion failing which by deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Optometrist in the Safdarjung Hospital in the pay band 1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 with six years regular service in the grade and who have successfully completed two weeks training in optometry from a recognized Institution.	Departmental Promotion committee (for considering promotion) consisting of:- (1) Additional Medical Superintendent, Safdarjung hospital —Chairman (2) Head of the concerned department,	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment on deputation (including short term contract).

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior 1st January, 2006 or /the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation (including short term contract):
Officers of the Central Government or State Government or Union Territory Administrations or statutory organizations or public sector undertakings or Universities or recognized research institutions:

(a)(i) holding analogous posts on regular basis
or

With six years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in the pay band-1, Rs 5200-20200 with grade pay of Rs.2800 or equivalent in the parent cadre or department;

and

(b) possessing the following education qualifications and experience:

(i) Bachelors Degree in Optometry from a recognised University or Institute.

(ii) two years working experience in Optometry in a Government hospital or research institute recognised by the Central Government or State Government having a minimum of hundred beds.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion

Note 2: The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment

Safdarjung hospital —Member

(3) Deputy Director (Administration),
Safdarjung hospital. —Member

(4) Deputy Director (Medical Hospital),
Directorate General of —Member
Health Services

in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. Note 4: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
--	--	--

[F. No. A-11018/05/2006-RR (MH III)]

SANJAY PANT, Under Secy.